



Neutral Citation-2026:AHC:19534

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 2793 / 2026

अब्दुल मन्नान और 2 अन्ययाचिकाकर्ता(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: मनोज कुमार दुबे, विपुल कुमार दुबे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय कक्ष संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को रिट याचिका के प्रार्थना खंड में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. पी. शुक्ला, और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को इस आदेश से कोई शिकायत होती है, तो उन्हें इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
4. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2-कमिश्नर, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे पुनरीक्षण/वाद संख्या 1012 वर्ष 2023 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या C202315000001012) का शीघ्रता से निपटारा करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ताने यह तर्क दिया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, फिर भी इस मामले में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपर्युक्त मामले का निर्णय शीघ्रतापूर्वक विधि के पूर्णतः अनुरूप और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के करे, बशर्ते कि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"